"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018—भाद्रपद 29, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक ई-1-15/2018/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 16/2/2016-EO (MM-I) दिनांक 13-07-2018 के तारतम्य में डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (सीजी : 2002), सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को माननीय केन्द्रीय मंत्री, नागर विमानन विभाग (श्री सुरेश प्रभु) की निजी स्थापना में निज सचिव (संचालक स्तर) के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 02-08-2018 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 7-7/2016/32.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2018 जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत कवर्धा विकास योजना (प्रारूप) 2021 के ग्राम घोटिया, प.ह.नं. 19 में उपांतरण संबंधी है, में खसरा क्रमांक "25/5" के स्थान पर खसरा क्रमांक "24/5" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-05-2015 द्वारा कुल 02 संस्थानों को 03 वर्ष की अवधि के लिये सशर्त अधिमान्यता प्रदान की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 10-05-2018 को समाप्त हो गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित 02 संस्थानों की अधिमान्यता का नवीनीकरण, तालिका में उल्लेखित क्रमांक-01 द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि में छूट प्रदान करते हुए उनकी अधिमान्यता अवधि दिनांक 10-05-2018 से आगामी 03 वर्ष के लिये प्रदान की जाती है :—

क्र.	एजेंसी का नाम एवं पता
1.	मेसर्स सौरभ सर्वेयिंग सर्विसेस, श्री रमेश मेश्राम, हाऊस नंबर 396/4, अंगुली मॉल के पास, बौद्ध विहार, नजूल लेआऊट कॉलोनी, बेजानबाग, जरीपटका, नागपुर (महाराष्ट्र)-440014.
2.	मेसर्स जियो सॉल्युशन (प्रा.) लिमिटेड, HIG-21, हुडको कालोनी, आमदीनगर भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

3. उपर्युक्त तालिका में उल्लेखित कंपनियों/एजेंसियों को राज्य में खनिज कोयला को छोड़कर शेष खनिजों की खनिज रियायत संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु भारतीय खान ब्यूरों के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 एवं पत्र दिनांक 21-09-2011 तथा भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08-10-2014 एवं खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम, 12 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :—

1. Each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar).

2. There shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;

3. The distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;

4. The pillar shall be of square pyramind frustum shaped above the surface and cuboids shaped below the surface;

5. Each pillars shall be of reinforced cement concrete;

6. The corner pillar shall have a base of 0.3m x 0.3m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;

7. The intermediate pillars shall have a base of 0.25m x 0.25m and height of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground.

8. All pillars shall be painted in yellow color and the top ten centimeters in red color by enamel paint and shall be grouted with cement concrete.

9. On all corner pillars distance and being to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked;

10. Each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;

11. The number of pillars shall be the numbers of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

12. The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees.

13. The lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Control General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf;

14. The location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee: and

15. In case of forest area within the lease, the size and construction and color of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the forest Department in this behalf.

16. The Survey Agency shall be responsible for the accuracy of the data collected during Survey.

17. Coordinates of boundary pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.

18. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.

19. डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरांत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.

20. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.

21. राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एजेंसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.

4. यह अधिमान्यता दिनांक 10-05-2018 से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 सितम्बर 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/2392/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
दुर्ग	पाटन	अमलेश्वर	0.867 हे.	महादेव घाट एनीकट परिक्षेत्र विकसित (सौंदर्यीकरण) योजना

कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध क्रमांक-01 रायपुर द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन की सामाजिक समाघात निर्धारण के अद्ययन हेतु जनसुनवाई दिनांक 12-10-2018 को समय दिन के 11.00 बजे स्थान ग्राम-पंचायत अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग पर नियत की गई है. कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध, क्रमांक-01 रायपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि अर्जन अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	महादेव घाट एनीकट परिक्षेत्र विकसित (सौंदर्यीकरण योजना) हेतु भू-अर्जन.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03 खातेदार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	1.43 करोड़ (अनुमानित)
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त सौंदर्यीकरण योजना से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची दो में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा. संभावित व्यय रु. 5,00,000 (पांच लाख) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत् उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर, दिनांक 25 अगस्त 2018

क्रमांक 13510/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कटारी प.ह.नं. 02	0.012	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया, जिला-रायगढ़.	कटारी ब्रान्च माईनर नं. 7 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर, दिनांक 25 अगस्त 2018

क्रमांक 13512/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बन्दोरा प.ह.नं. 07	0.040	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया, जिला-रायगढ़.	कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2018

प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सारबहरा प.ह.नं. 20	0.040	भू-अर्जन अधिकारी पेण्ड्रारोड.	सरबहरा से पेण्ड्रारोड के मध्य रेल दोहरीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 2 सितम्बर 2018

क्रमांक 01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघौरी, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	104/2	0.29
	104/4	0.28
	104/5	0.28
योग	03	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरसा जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेरला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कावरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक 7798/चेकर/दो-15-19/2000.—दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य शासन के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित परिवीक्षाधीन सहायक कलेक्टरों को सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में प्रत्येक के सामने दर्शाये गये राजस्व जिले में एक सप्ताह (16-08-2018 से 22-08-2018) के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 10 (धारा 181 को छोड़कर) तेरह (धारा 281 और 295-क को छोड़कर), 15 एवं 19 तथा धाराएं 143, 151, 153, 154 से 160, 171, 323 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489 ई, 504, 508, 509 एवं 510 के अधीन दण्डनीय अपराधों, जो एक वर्ष के कारावास से अधिक दण्ड से दण्डनीय न हो, से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्तियों से वेष्ठित करता है जो संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विचारण हेतु उन्हें सौंपे जावे.

सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	जिले का नाम एवं अधिकृत स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	श्री आकाश छिकारा, सहायक कलेक्टर, जिला-सरगुजा	सरगुजा (अंबिकापुर)
2.	श्री चंद्रकांत वर्मा, सहायक कलेक्टर, जिला-बस्तर	बस्तर स्थान जगदलपुर
3.	श्री कुनाल दूदावत, सहायक कलेक्टर, जिला-बिलासपुर	बिलासपुर
4.	श्री मयंक चतुर्वेदी, सहायक कलेक्टर, जिला-रायगढ़	रायगढ़
5.	श्री रोहित व्यास, सहायक कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव	राजनांदगांव

No. 7798/Checker/II-15-19/2000.—In exercise of the powers Conferred by Section 13(1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and on the request of the State Government of Chhattisgarh, the High Court of Chhattisgarh here-by Conferred the powers of Judicial Magistrate of Second Class upon the Probationary Assistant Collectors name mentioned in column (2) of the table below to exercise jurisdiction in the local areas specified against their respective names in column (3) of the table below for a week (i.e. 16-08-2018 to 22-08-2018) and to such cases & such offences as may be assigned to them by the Chief Judicial Magistrate of the respective areas under chapters 10 (Except Section 181), 13 (Except Sections 281, 295-A) 15 and 19and Sections 143, 151, 153, 154 to 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-E, 504, 508, 509 and 510 of the Indian Penal Code, provided that the offences are not punishable with imprisonment for more than one year.

TABLE

Sl. No.	Name of Officers	Name of District and Name of Local area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Aakash Chhikara, Assistant Collector, District-Surguja.	Surguja (Ambikapur)
2.	Shri Chandrakant Verma, Assistant Collector, Disrict-Bastar.	Bastar at Jugdalpur
3.	Shri Kunal, Dudavat, Assistant Collector, Disrtict-Bilaspur.	Bilaspur

(1)	(2)	(3)
4.	Shri Mayank Chaturvedi, Assistant Collector, District-Raigarh.	Raigarh
5.	Shri Rohit Vyas, Assistant Collector, District-Rajnandgaon.	Rajnandgaon

Bilaspur, the 31st August 2018

No. 882/Confdl./2018/II-3-14/2000.—On the application of Smt. Mamta Shukla, Member of Higher Judicial Service, presently posted as Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, she is hereby, permitted to prefix the title "Dr." before her name. It is directed that in all her records, her name be changed as "Dr." Mamta Shukla" in place of "Smt. Mamta Shukla".

By the order of Hon,ble the Chief Justice,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

Bilaspur, the 15th August 2018

No. 58 (Mis.)/I-7-3/2018 (Pt.-I).—In view of order No. F 3-1/2015/1-5 dated 15-08-2018 issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration, Department, Mantralaya, Naya Raipur regarding funeral of Shri Balram Ji Dass Tandon, Hon'ble the Governor of Chhattisgarh at Chandigarh on 16-08-2018 and also declaration of public holiday on 16-08-2018, the High Court of Chhattisgarh hereby declares holiday for the High Court, its Registry and the Courts subordinate to this High Court on 16-08-2018.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
Deepak Kumar Tiwari, Registrar (Vigilance).